संoसंo–7 / विविध–26–06 / 14.203(7)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

अंजनी कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव (DDO), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।
निदेशक लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना।
निदेशक, लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना ।
निदेशक, राजेन्द्रनगर अस्पताल,पटना
निदेशक, मॉडल ब्लड बैंक, जयप्रभा अस्पताल परिसर, कंकड़बाग, पटना ।
निदेशक, न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल, पटना ।
सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ।
सभी सिविल सर्जन, बिहार।
सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार।
अधीक्षक, सभी सदर एवं अनुमंडलीय अस्पताल।
उपाधीक्षक, सभी अनुमंडलीय अस्पताल।
उपाधीक्षक / प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, स्थानीय औषधालय।
सभी क्षेत्रिय मलेरिया पदाधिकारी / जिला मलेरिया पदाधिकारी।
सहायक निदेशक फायलेरिया, बिहार, पटना।
अपर निदेशक–सह–नियंत्री पदाधिकारी, मलेरिया / कुष्ठ एवं यक्ष्मा।
सभी जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी।
निदेशक, टी0बी0डी0सी0, पटना / दरभंगा।
सभी जिला यक्ष्मा पदाधिकारी, बिहार।
अधीक्षक, महारानी जानकी कुंवर अस्पताल, बेतिया।
अधीक्षक, प्रभावती अस्पताल, गया।
अधीक्षक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, गया।
अधीक्षक, गुरू गोविन्द्र सिंह अस्पताल, पटना सिटी ।
अधीक्षक, संक्रामक रोग अस्पताल, पटना / गया।
प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सभी प्रा0स्वा0केन्द्र / सभी रेफरल अस्पताल।
प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, विधायक अस्पताल, पटना।
संयुक्त खाद्य नियंत्रक, बिहार, पटना।
अधीक्षक, यक्ष्मा अस्पताल, कोईलवर।

पटना, दिनांकः– 02-03-17

विषयः–स्वास्थ्य विभाग के अधीनस्थ सभी जिलों के डी0डी0ओ0 तथा पदाधिकारियों को ऑनलाईन आवंटन की प्रक्रिया लागू करने हेतु बैठक के संबंध में।

प्रसंगः–वित्त विभाग के पत्रांक–8939 दिनांक–22.11.17 एवं 9891 दिनांक–28.12.16

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में चरणबद्ध तरीके से नयी कम्प्यूटर प्रणाली Comprehensive Financial Management System (CFMS) लागू किया जाना है ।

अतः अनुरोध है कि व्यक्तिगत अभिरूचि लेकर उपर्युक्त में डी0डी0ओ0 का आधार नम्बर, डी0डी0ओ0 कोड, डी0डी0ओ0 जहाँ से निकासी की जायगी, ट्रेजरी का नाम, जिला का नाम से संबंधित संलग्न विवरणी कॉलमवार बनाकर बैठक में दिनांक–07.03.2017 को 11.00बजे पूर्वाहन में विभागीय सभा कक्ष में भाग लेने की कृपा की जाय ।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय ।

विश्वासभाजन,

02/3/17

(अंजनी कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

अनु0–यथोक्त ।

विहित प्रपत्र

जिला नाम	शीर्षवार	कोषागार का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम/पदनाम/मोबाईल न0/ आधार नं0	डी0डी0ओ0 कोड
1	*2*	*3*	*4*	*5*

203(7)
02-03-17

02/3/17

(69)

पत्रांक– को0प्र0 / विविध–03 / 2015.
बिहार सरकार
वित्त विभाग

24 SEP 2016

प्रेषक,

एच0आर0 श्रीनिवास
सचिव(संसाधन)

सेवा में,

सभी विभागीय प्रधान सचिव / सचिव
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक ....

विषयः– सभी विभाग के डी0डी0ओ0 तथा पदाधिकारियों को शीघ्र आधार नं0 प्राप्त करने के संबंध में।

महाशय,

वर्तमान में राज्य का वित्तीय प्रबंधन Comprehensive Treasury Management Information System (CTMIS) के द्वारा किया जाता है। इसमे डी0डी0ओ0 अपने विपत्र को युजर नेम / पासवर्ड के द्वारा Login कर के प्रस्तुत करते है । अगले वित्तीय वर्ष 2017–18 में चरणवद्ध तरीके से नयी कम्प्युटर प्रणाली Comprehensive Financial Management System (CFMS) लागू किया जाना है। इसे साल के अंत तक पूरी तरह कार्यरत किया जाएगा।

इस कम्प्युटर प्रणाली में डी0डी0ओ0 को login करने तथा अपने विपत्र प्रस्तुत करने हेतु Digital Signature / e-Sign का प्रयोग करना होगा। इस Digital Signature / e-Sign को प्रत्येक डी0डी0ओ0 / पदाधिकारी के आधार न0 / मोबाईल न0 से जोड़ा जाएगा । CAG बिहार को भी सभी बिल तथा एकाउंट ऑनलाईन प्राप्त हो सकेंगे और Physical bill/voucher भेजने की आवश्यकता नहीं होगी।

दिनांक 21.10.2016 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बजट 2017–18,पी0एफ0एम0एस0 तथा सी0एफ0एम0एस0 से संबंधित बैठक में मुख्य सचिव ने यह निदेश दिया है कि इस प्रणाली (CFMS) को लागू किये जाने हेतु बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत सभी विभागों के डी0डी0ओ0 / पदाधिकारियों को शीघ्र आधार नं0 प्राप्त करना आवश्यक है।

साथ हीं, सभी विभागों को विश्लेषण करके डी0डी0ओ0 की संख्या भी कम करना जरूरी है। कृपया मुख्य सचिव द्वारा दिए गए इन निदेशों को ध्यान में रखकर इसका शीघ्र अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन

ह0 / –
(एच0 आर0 श्रीनिवास)
सचिव(संसाधन)

ज्ञापांक :– 8939 दिनांक :– 22.11.16

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव ,वित विभाग ,सचिव (संसाधन), वित्त विभाग के आप्त सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, ग्रामीण विकास विभाग / शिक्षा विभाग / स्वास्थ्य विभाग / समाज कल्याण विभाग / अनुसूचित जाति एवं जन–जाति कल्याण विभाग / अल्पसंख्यक कल्याण विभाग / सूचना प्रावैधिकी विभाग / योजना एवं विकास विभाग / सामान्य प्रशासन विभाग / सूचना प्रावैधिकी विभाग / लघु जल संसाधन विभाग / कृषि विभाग / खान एवं भूतत्व विभाग / पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग / (गव्य विभाग) / अल्पसंख्यक कल्याण विभाग / जल संसाधन विभाग / गन्ना उधोग विभाग / विधि विभाग / खाद् एवं उपभोक्ता संरक्षण / पंचायती राज विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / गृह विभाग / पर्यटन विभाग / लोक स्वाथ्य अभियंत्रण / नगर विकास एवं आवास विभाग / श्रम संसाधन / भवन निर्माण / सहकारिता विभाग / परिवहन विभाग / पथ निर्माण विभाग / गृह विभाग (कारा) / राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग / ऊर्जा विभाग / कला एवं संस्कृति / वाणिज्यकर विभाग / ईख विभाग / विज्ञान एंव प्रावैधिकी विभाग / मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग / उधोग विभाग / को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित ।

18/11

(एच0 आर0 श्रीनिवास)
सचिव(संसाधन)।

(68)

अत्यावश्यक

पत्र संख्या– कोष० प्र०/कम्प्यूटर - 02/2015 9891 /

बिहार सरकार

वित्त विभाग

(कोषागार–सी0एफ0एम0एस0 सेल)

प्रेषक

रवि मित्तल,
प्रधान सचिव।

सेवा में

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
बिहार सरकार।

पटना, दिनांक 28.12.16

विषयः– दिनांक 01.04.2017 से ऑनलाईन आवंटन की प्रक्रिया लागू करने हेतु बैठक के संबंध में।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2017–18 से राज्य के सभी कोषागार Comprehensive Financial Management System (CFMS) के अंतर्गत कार्य करेंगे। प्रशासी विभाग से विभागाध्यक्ष, और क्षेत्रिय नियंत्री पदाधिकारियों के माध्यम से निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों तक बजट उपबंधित राशि का आवंटन करने हेतु "Allotment Module" विकसित किया जा रहा है। इस हेतु निम्नांकित सूचनाओं की आवश्यकता होगीः–

1. विभाग में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों तक आवंटन भेजने का पथ प्रवाह।
2. प्रशासी विभाग के अधीन संलग्न विभागाध्यक्ष।
3. प्रत्येक विभागाध्यक्ष से संलग्न क्षेत्रिय नियंत्री पदाधिकारी।
4. प्रत्येक क्षेत्रिय नियंत्री पदाधिकारी से संलग्न निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।
5. विपत्र कोड/बजट कोड वार आवंटन का मार्ग एवं आवंटन उप आवंटन देने वाले कार्यालय एवं नामित पदाधिकारी का पदनाम।
6. प्रत्येक स्तर के प्राधिकार के द्वारा संव्यवहार किये जाने वाले बजट शीर्ष।
7. अन्य आवश्यक सूचना।

इस हेतु वित्त विभाग के CFMS Cell में में विभागवार संलग्न कार्यक्रम के अनुसार बैठक आहुत की गयी है। उक्त बैठक ऐसे पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्राधिकार पत्र के साथ भाग लेंगे जो अपने विभाग के प्रशासनिक एवं वित्तीय संरचना, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों तक आवंटन देने के मार्ग, विभाग को आवंटित बजट

Not & Lett.3

कोड/विपत्र कोड वार विभागाध्यक्ष, क्षेत्रिय नियंत्री पदाधिकारी तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी आदि की पूर्ण जानकारी दे सके।

अतः अनुरोध है कि संलग्न कार्यक्रम के अनुसार बैठक में भाग लेने हेतु प्राधिकृत पदाधिकारियों एवं कर्मियों को निदेश देने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक – यथोक्त ।

विश्वासभाजन

(रवि मित्तल),
प्रधान सचिव।

स्वास्थ्य विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञाप० — दिनांक —

प्रतिलिपि – प्रशाखा पदा० – 01, 07, 10, 12, 15 एवं 16 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2.1.1

अवर सचिव सह निकासी
एवं व्ययन पदाधिकारी
स्वास्थ्य विभाग, बिहार,